

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक - 116/आ0

दिनांक- 29/07/08

ग्रा0वि0वि06/बजट-40/2008

प्रेषक,

श्री अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- राज्य के 432 वाहन विहीन प्रखण्डों के लिए नये टाटा सूमो इको 4 x 4 वाहन के क्रय हेतु कुल 20,68,73,568.00/- (बीस करोड़ अड़सठ लाख तिहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ) रुपये के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृति आदेश 10147 दिनांक 18.07.08 एवं 10149 दिनांक 18.07.08।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में राज्य के 432 वाहन विहीन प्रखण्डों (सूची संलग्न) के लिए नये वाहन का क्रय किया जाना है ।

2. राशि का उपबंध वित्त विभाग के ज्ञापांक ब 3/बी0 सी0 एफ0-21/08-44 सी0 एफ0 दिनांक 05.07.08 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति से प्राप्त है ।

3. स्वीकृत्यादेश सं0-10149 दिनांक-18.07.08 के आलोक में संलग्न सूची में अंकित प्रखण्डों के लिए वाहन क्रय हेतु कॉलम 5 में दर्शाये अनुसार राशि आवंटित की जाती है ।

4. उक्त आवंटित राशि कुल 20,68,73,568.00/- (बीस करोड़ अड़सठ लाख तिहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ) रुपये मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास उप शीर्ष-0001-उत्तर प्रक्रम-2 प्रखण्ड, विपत्र कोड-एन 2515001020001, कूट सं0 1601 नई गाड़ी का क्रय के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में विकलनीय होगा ।

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के फलस्वरूप वर्तमान में प्रति वाहन का D.G.S. & D दर सभी करों सहित 496705.00/-रु0 हो गया है । तत्काल मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति पश्चात निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-10149 दिनांक18.07.08 के आलोक में प्रति वाहन 478874.00/-रु0 की दर से यह आवंटन दिया जा रहा है ।

6. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे एवं राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के जिला कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी ।

7.राशि का आवंटन वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 जो निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण की व्यवस्था संबंधी स्थायी अनुदेश है, में उल्लेखित निदेशों के आलोक में किया जा रहा है । साथ ही अनुरोध है कि आवंटित राशि का आवंटन/निकासी/व्यय के क्रम में वित्त विभाग के उक्त परिपत्र एवं समय-समय पर निर्गत अन्य/परिपत्रों/अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक एवं अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय ।

8. समेकित मासिक व्यय विवरणी, कोषागार एवं तिथि सहित अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक ईकाई(कूट सं० के साथ) एवं विपत्र की मुहर स्पष्ट रूप अंकित की जाए ।

10. आवंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाए।

11. उक्त वाहन के लिए आपूर्ति आदेश टाटा मोटर्स के अधिकृत विक्रेता मेसर्स शंकर मोटर्स प्रा० लि०, प्लॉट नं०-सी०1 इंडस्ट्रीयल एरिया, पाटलिपुत्रा, 800013 बिहार को विभागीय पत्रांक 10150 दिनांक 18.07.08 द्वारा दिया जा चुका है । नये वाहन क्रय करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को निदेशित करना चाहेंगे कि विभागीय पत्रांक 10150 दिनांक 18.07.08 में उल्लिखित निदेश यथा-

- (i) सभी वाहन की आपूर्ति यथासम्भव सितम्बर माह 2008 तक कर दी जाएगी ।
- (ii) सभी वाहन एक ही रंग "मेरीन ब्लू रंग " के होंगे ।
- (iii) सभी वाहन पर चारो ओर-दायें,बायें, सामने एवं पीछे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में हिन्दी में कम्पनी द्वारा उल्लिखित किया जाएगा ।
- (iv) वाहन आपूर्ति करते समय वाहन की पूरी जाँच की जाए एवं संबंधित टूल्स एवं वारंटीकार्ड आदि के साथ-साथ बिक्री पश्चात सेवा (आफ्टर सेल सर्विस), एवं चालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित एजेंसी की सूचना भी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय ताकि उन्हें वाहन के सही संधारण, समय-समय पर वाहन की जांच एवं सर्विसिंग कराने में कठिनाई नहीं हो ।

का अनुपालन कर कंडिका 5 के आलोक में राशि का भुगतान कर वाहन प्राप्त कर जिला पदाधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

12. नये वाहन क्रय के पश्चात वाहन का चेसिस नं०, इंजन नं०, रजिस्ट्रेशन नं० विभाग को निश्चित रूप से भेजें ।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-4653 दिनांक 17.07.99 में निहित प्रावधान के आलोक में नये वाहनों की प्राप्ति के पश्चात पुराने वाहनो पर किसी प्रकार का व्यय अनुमान्य नहीं होगा । अतः पुराने वाहनों को निश्चित रूप से नियमानुसार रद्दीकृत किये जाए एवं निलामी की राशि निश्चित रूप से कोषागार में जमा कर संबंधित अभिलेख विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाए ।

14. किसी भी तरह की अनियमितता की पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

ह०/-

(श्री अनूप मुखर्जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-_____

दिनांक-_____

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार,वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग,बजट शाखा बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना/सहायक साख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 6/कार्यवाह सहायक ग्रामीण विकास विभाग को 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक - 10149

दिनांक- 18/07/08

ग्राO विO 2 स्थाO7- 01/07(खंड)

प्रेषक,

श्री अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार ।

विषय :- राज्य के 432 वाहन विहीन प्रखण्डों के लिए प्रति वाहन 4,78,874.00 रुपये की दर से कुल 20,73,60,000.00 (बीस करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार मात्र) रुपये की लागत पर - 432 टाटा सूमो इको 4 x 4 नए वाहन के क्रय की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. यह व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास उप शीर्ष-0001-उत्तर प्रक्रम-2 प्रखण्ड, विपत्र कोड-एन 2515001020001, कूट संO 1601 नई गाडी का क्रय के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में विकलनीय होगा ।

3. राशि का निकासी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जाएगी ।

4. नये वाहन का क्रय डीO जीO एसO एण्ड डीO दर पर सभी करों सहित किया जाएगा ।

5. राशि का उपबंध वित्त विभाग के ज्ञापांक ब 3/बीO सीO एफO-21/08-44 सीO एफO दिनांक 05.07.08 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति से प्राप्त है । राशि का आवंटन विभागीय बजट शाखा द्वारा किया जाएगा ।

6. नये वाहन के क्रय में वित्त विभाग के परिपत्र संO-4653 दिनांक 17.07.99 में निहित प्रावधनों का अनुपालन करना संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा ।

7. नये वाहन के क्रय की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा ज्ञाप संO-3731(बीO)2 दिनांक- 09.05.08 पृO-69/पO एवं मंत्रिपरिषद की दिनांक 10.06.08 की बैठक में मद संO-2 के रूप में प्राप्त हो चुकी है जो कि संचिका संO-02 स्थाO 7- 01/07 खंड के पृO-22/टिO पर संधारित है ।

8. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संO-02 स्थाO 7- 01/07 खंड के पृO-32/पO पर प्राप्त हो चुकी है ।

(अनूप मुखर्जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 10149

दिनांक- 18/07/08

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

आवंटन सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम जिनके लिए वाहन क्रय किया जाना है	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	पटना	पटना सदर, धनरूआ, फुलवारीशरीफ, बिहटा, नौबतपुर, पालीगंज, बाढ़, मोकामा, मसौढी, पुनपुन, मनेर, दानापुर, विक्रम, बख्तियारपुर, पंडारक, फतुहा, दनियोंवा, घोसवरी । कुल प्रखण्डों की संख्या - 18	86,19,732.00/-
2	भोजपुर	आरा सदर, उदवन्तनगर, जगदीशपुर, कोइलवर, सहार, बड़हरा, संदेश, शाहपुर, चरपोखरी, पीरो, तरारी, बिहिया । कुल प्रखण्डों की संख्या - 12	57,46,488.00/-
3	बक्सर	बक्सर सदर, डुमरौव, सिमरी, ब्रह्मपुर, राजपुर, इटाढ़ी, नवानगर । कुल प्रखण्डों की संख्या - 07	33,52,118.00/-
4	नालन्दा	गिरियक, रहुई, नूरसराय, हरनौत, चन्डी, इस्लामपुर, राजगीर, अस्थावाँ, सरमेरा, हिलसा, बिहार शरीफ, एकगंरसराय, करायपरशुराय, परवलपुर, कतरीसराय । कुल प्रखण्डों की संख्या - 15	71,83,110.00/-
5	रोहतास	नौहट्टा, चेनारी, नासरीगंज, रोहतास, शिवसागर, दावथ, काराकट, नोखा, विक्रमगंज, करगहर, सासाराम, डिहरी, दिनारा । कुल प्रखण्डों की संख्या - 13	62,25,362.00/-
6	कैमूर (भभुआ)	भभुआ, रामगढ़, मोहनियाँ, दुर्गावती, अघौड़ा, भगवानपुर, चाँद, चैनपुर, कुदरा । कुल प्रखण्डों की संख्या - 09	43,09,866.00/-
7	गया	अतरी, बेलागंज, मोहनपुर, कोच, बाराचट्टी, मानपुर, गुरुआ, टेकारी, इमामगंज, गया सदर, वजीरगंज, फतेहपुर, परैया, शेरघाटी, बोधगया, खिजरसराय, आमस, डुमरिया, मोहरा । कुल प्रखण्डों की संख्या - 19	90,98,606.00/-
8	जहानाबाद	घोषी, मोदनगंज, जहानाबाद सदर, मखदुमपुर, काको, हुलासगंज । कुल प्रखण्डों की संख्या - 06	28,73,244.00/-
9	अरवल	करपी, अरवल, कुर्था । कुल प्रखण्डों की संख्या - 03	14,36,622.00/-

10	नवादा	कौआकोल, वारसलीगंज, नवादा सदर, रजौली, अकबरपुर, हिंसुआ, नरहट, गोविन्दपुर, पकरीवरावाँ, सिरदल्ला । कुल प्रखण्डो की संख्या - 10	47,88,740.00/-
11	औरंगाबाद	मदनपुर, कुटुम्बा, दाउदनगर, औरंगाबाद, बारुण, देव, ओबरा, नवीनगर, हसपुरा, गोह, रफीगंज । कुल प्रखण्डो की संख्या - 11	52,67,614.00/-
12	मुजफ्फरपुर	सकरा, मुरौल, मुशहरी, गायघाट, साहेबगंज, कुढनी, सरैया, मीनापुर, बोचहा, औराई, कटरा, काटी, मरवन, मोतीपुर, पारू । कुल प्रखण्डो की संख्या - 15	71,83,110.00/-
13	वैशाली	महनार, वैशाली, विदुपुर, गोरौल, राघोपुर, लालगंज, हाजीपुर, महुआ, जन्दाहा, पातेपुर, सहदेई बुजुर्ग, देसरी । कुल प्रखण्डो की संख्या - 12	57,46,488.00/-
14	सीतामढी	बथनाहा, परिहार, नानपुर, बाजपट्टी, बैरगनिया, बेलसंड, रीगा, सुरसंड, पुपरी, सोनवर्षा, डुमरा, रून्नी सैदपुर, मेजरगंज । कुल प्रखण्डो की संख्या - 13	62,25,362.00/-
15	शिवहर	पुरनहिया, शिवहर, तरियानी, पिपराही, डुमरी कटसरी । कुल प्रखण्डो की संख्या - 05	23,94,370.00/-
16	प0 चम्पारण	बेतिया, सिकटा, मैनाटाइ, चनपटिया, बैरिया, लौरिया, बगहा-1, बगहा-2, मधुबनी, गौनाहा, नरकटियागंज, मंझौलिया, नौतन, जोगापट्टी, रामनगर, ठकराहा । कुल प्रखण्डो की संख्या - 16	76,61,984.00/-
17	पूर्वी चम्पारण	केशरिया, कल्याणपुर, मोतिहारी, सुगौली, हरसिद्धि, पकरीदयाल, महिषी, आदापुर, चिरैया, पहाड़पुर, रक्सौल, तुरकौलिया, अरेराज, रामगढवा, घोड़ासहान, वनकटवा, मधुवन, चकिया, पताही, ढाका, कोटवा, बंजरिया, छौड़ादानो । कुल प्रखण्डो की संख्या - 23	1,10,14,102.00/-
18	सारण	छपरा सदर, मांझी, दिघवारा, रिविलगंज, परसा, मशरख, अमनौर, तरैया, सोनपुर, गरखा, एकमा, दरियापुर, जलालपुर, मढौरा, बनियापुर, पानापुर । कुल प्रखण्डो की संख्या - 16	76,61,984.00/-

19	सिवान	पचरूखी, रघुनाथपुर, मैरवां, आन्दर, गुठनी, महाराजगंज, जीरादेई, दरौली, सिसवन, दरौदा, हुसैनगंज, भगवानपुर हाट, गोरिया कोठी, बड़हरिया, सिवान सदर, वसन्तपुर, नौतन, हसनपुर । कुल प्रखण्डो की संख्या - 18	86,19,732.00/-
20	गोपालगंज	भोरे, गोपालगंज सदर, मांझा, उचकागांव, कुचायकोट, कटेया, विजयीपुर, वरौली, हथुआ, बैकुंठपुर । कुल प्रखण्डो की संख्या - 10	47,88,740.00/-
21	दरभंगा	बहादुरपुर, जाले, हायाघाट, सिंधवारा, बेनीपुर, घनश्यामपुर, बहेडी, केउटी, मनिगाछी, तारडीह, दरभंगा सदर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, हनुमाननगर । कुल प्रखण्डो की संख्या - 14	67,04,236.00/-
22	मधुबनी	जयनगर, पंडौल, रहिका, विस्फी, बेनीपट्टी, बासोपट्टी, बाबूबरही, राजनगर, मधेपुर, खुटौना, खजौली, कलुआही, झंझारपुर, घोघराडीह, लदनियाँ, मधवापुर, हरलाखी, लौकही, अंधराठाढी, लखनौर, फुलपरास । कुल प्रखण्डो की संख्या - 21	1,00,56,354.00/-
23	समस्तीपुर	जितवापुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, रोसडा, मोरवाँ, शाहपुर पटोरी, मोहनपुर, सरायरंजन, पूसा, उजियारपुर, दलसिंहसराय, सिंधिया, हसनपुर, विद्यापतिनगर, मोहिउद्दीनगर, विभूतिपुर । कुल प्रखण्डो की संख्या - 16	76,61,984.00/-
24	बेगूसराय	भगवानपुर, वीरपुर, तेघडा, बखरी, बेगूसराय सदर, बरौनी, बडवाडा, चेरियाबरियापुर, बलिया, खोदानगर, साहेबपुरकमाल, मटिहानी, नावकोठी, अकहाकुरहाशाम्हों । कुल प्रखण्डो की संख्या - 14	67,04,236.00/-
25	मुंगेर	हवेलीखडगपुर, धरहरा, मुंगेर सदर, जमालपुर, तारापुर, संग्रामपुर, असरगंज । कुल प्रखण्डो की संख्या - 07	33,52,118.00/-
26	लखीसराय	पिपरिया, हलसी, लखीसराय, बड़हिया, सूर्यगढ़ा, रामगढ़ चौक, चानन । कुल प्रखण्डो की संख्या - 07	33,52,118.00/-
27	शेखपुरा	अरियरी, शेखपुरा, बरबीघा । कुल प्रखण्डो की संख्या - 03	14,36,622.00/-

28	जमुई	चकाई, जमुई सदर, लक्ष्मीपुर, झाझा, सोनो, सिकन्दरा, खैरा । कुल प्रखण्डो की संख्या - 07	33,52,118.00/-
29	खगडिया	गोगरी, परबत्ता, खगडिया सदर, अलौली, चौथम, बेलदौर कुल प्रखण्डो की संख्या - 06	28,73,244.00/-
30	भागलपुर	पीरपैती, कहलगाँव, सन्हौला, सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर, सुलतानगंज, शाहकुण्ड, विहपुर, नवगछिया, गोपालपुर । कुल प्रखण्डो की संख्या - 11	52,67,614.00/-
31	बाँका	धोरैया, बाराहाट, बाँसी, बाँका सदर, अमरपुर, बेलहर, कटोरिया, चान्दन, रजौन, शम्भूगंज । कुल प्रखण्डो की संख्या - 10	47,88,740.00/-
32	सहरसा	नौहट्टा, सिमरीबख्तियारपुर, सलखुआ, कहरा, महिषि सोनबरसा, सौरबाजार । कुल प्रखण्डो की संख्या -07	33,52,118.00/-
33	सुपौल	त्रिवेणीगंज, सुपौल, पिपरा, किशुनपुर, मरौना, निर्मली, वसन्तपुर, राघोपुर, छातापुर । कुल प्रखण्डो की संख्या -09	43,09,866.00/-
34	मधेपुरा	मधेपुरा, धेलाइ, सिंहेश्वरस्थान, मुरलीगंज, उदयकिशुनगंज, चौसा, कुमारखंड, आलमनगर, गम्हरिया कुल प्रखण्डो की संख्या -09	43,09,866.00/-
35	अररिया	अरियरी, रानीगंज, भरगावाँ, कुर्साकाँटा, सिकटी, नरपतगंज, फारविसगंज, पलासी, जोकीहाट । कुल प्रखण्डो की संख्या - 09	43,09,866.00/-
36	किशनगंज	किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, टेढागाछी, दिग्घलबैंक, ठाकुरगंज, पोठिया । कुल प्रखण्डो की संख्या - 07	33,52,118.00/-
37	कटिहार	कटिहार, बारसोई, डंडखोरा, कदवा, हसनगंज, अमदाबाद, मनिहारी, बलरामपुर, कोढा, फलका, आजमनगर, बरारी, प्राणपुर । कुल प्रखण्डो की संख्या -13	62,25,362.00/-
38	पूर्णिया	पूर्णिया, अमौर, भवानीपुर, बनमनखी, धमदाहा, वैसा, वायसी, बड़हराकोठी, कसबा, रूपौली, कृत्यानन्दनगर । कुल प्रखण्डो की संख्या -11	52,67,614.00/-
कुल योग :-			20,68,73,568.00/-
(बीस करोड़ अड़सठ लाख तिहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ) रूपये मात्र ।			

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक - 10150

दिनांक- 18/07/08

ग्रा0वि0 2/स्था0-7-01/07(खंड)

प्रेषक,

श्री उदय कांत लाल दास,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

मेसर्स शंकर मोटर्स प्रा0 लि0,
प्लॉट नं0-सी1
पाटलिपुत्रा, पटना 800013 (बिहार)

विषय :- राज्य के 432 वाहन विहिन प्रखण्डों के लिए 432 टाटा सूमो इको 4 x 4 नए वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा 432 वाहन विहिन प्रखण्डों (सूची संलग्न) में क्लै - व दर पर नये वाहन टाटा सूमो इको 4 ग 4 के क्रय का निर्णय लिया गया है, जिनकी आपूर्ति का आदेश निम्नलिखित शर्तों के साथ दिया जाता है :-

;पद्व सभी वाहन की आपूर्ति सितम्बर माह 2008 तक कर दी जाएगी ।

;पद्व सभी वाहन एक ही रंग "मेरीन ब्लू रंग " के होंगे ।

;पपद्व सभी वाहन पर दायें-बायें, सामने एवं पीछे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, (प्रखण्ड का नाम) बड़े-बड़े अक्षरों में कम्पनी द्वारा उल्लिखित किया जाएगा ।

;पअद्व सभी जिला पदाधिकारी को उनके जिले में आपूर्ति किये जाने वाले वाहनों के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं जिला स्तर से ही आप वाहनों की आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान प्राप्त करेंगे ।

;अद्व वाहन आपूर्ति करते समय वाहन की पूरी जांच की जाए एवं संबंधित टूल्स एवं वारंटीकार्ड आदि के साथ-साथ बिक्री पश्चात सेवा (आफ्टर सेल सर्विस) से सम्बन्धित एजेंसी की सूचना भी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय ताकि उन्हें समय-समय पर वाहन की जांच एवं सर्विसिंग कराने में कठिनाई नहीं हो ।

विश्वासभाजन

(उदय कांत लाल दास)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- _____

दिनांक- _____

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक - 10147

दिनांक- 18/07/08

गा0 वि0 2 स्था07- 01/07(खंड)

प्रेषक,

श्री अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार ।

द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

विषय :- राज्य के 432 वाहन विहीन प्रखण्डों के लिए नये वाहन क्रय हेतु रू0 20,73,60,000.00 (बीस करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार) मात्र रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष800-आकस्मिकता निधि-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास उप शीर्ष-0001-उत्तर प्रक्रम-2 प्रखण्ड, विपत्र कोड-एन 2515001020001, कूट सं0 1601 नई गाड़ी का क्रय के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में की जाएगी ।

3. राशि का उपबंध वित्त विभाग के जापांक ब 3/बी0 सी0 एफ0-21/08-44 सी0 एफ0 दिनांक 05.07.08 द्वारा बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति से प्राप्त है ।

4. राशि का निकासी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जाएगी ।

(अनूप मुखर्जी)
प्रधान सचिव

जापांक- 10147

दिनांक- 18/07/08

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव